



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 श्रावण 1947 (श10)

(सं0 पटना 1380) पटना, वृहस्पतिवार, 14 अगस्त 2025

परिवहन विभाग

अधिसूचना

13 अगस्त 2025

सं0 01/निगम-09-07/2025-6729/परि0—देश के विभिन्न राज्यों यथा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान से बिहार के कामगारों/आम नागरिकों को दुर्गा पूजा, छठ, पर्व एवं होली के अवसर पर आवागमन में ट्रेनों एवं अन्य परिवहन के साधनों में अत्यधिक भीड़ को देखते हुए अंतर्राज्यीय मार्गों पर ए0सी0 एवं नन ए0सी0 बसों को चलाये जाने की योजना है।

2. इस योजना के अंतर्गत बिहार के बाहर अन्य प्रदेशों में रहने वाले लगभग 06 हजार यात्रियों को प्रतिदिन दुर्गा पूजा से छठ तक दो माह एवं होली में एक माह सहित कुल 03 माह प्रत्येक वर्ष अगले 05 वर्षों तक आवागमन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अन्तर्राज्यीय मार्गों पर बसों के संचालन हेतु लोक निजी भागीदारी (पी0पी0पी0) अंतर्गत निजी बस ऑपरेटरों द्वारा उपलब्ध कराये गये बसों के परिचालन पर पीक साईड से रू0 150 प्रति सीट एवं ऑफ पीक साईड से रू0 300 प्रति सीट प्रोत्साहन राशि के रूप में 05 वर्षों के लिए रू0 35,64,00,000/- (पैंतीस करोड़ चौसठ लाख रुपये) एवं योजना के सूचारु रूप से संचालन हेतु आकस्मिकता मद में योजना लागता का 02 % अर्थात् 71.28 लाख रुपये सहित कुल 36,35,28,000/- (छत्तीस करोड़ पैंतीस लाख अठाईस हजार रुपये) व्यय किया जाना है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक प्रभावी रहेगी।

3. प्रस्तावित योजना के अंतर्गत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना द्वारा निजी बस ऑपरेटर से बस के परिचालन हेतु 05 वर्ष के लिए एकरारनामा एवं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना द्वारा निर्धारित विशिष्टता के अनुरूप 44 सीटर ए0सी0 एवं नन ए0सी0 बसों को उपलब्ध कराये जाने पर पीक साईड से रू0 150 प्रति सीट एवं ऑफ पीक साईड से रू0 300 प्रति सीट प्रोत्साहन सहायता के रूप में निजी बस ऑपरेटर को उपलब्ध कराया जायेगा। इस हेतु 36,35,28,000/- (छत्तीस करोड़ पैंतीस लाख अठाईस हजार रुपये) की स्वीकृति एवं वर्ष 2025-26 में योजना के सुचारु रूप से संचालन हेतु 2% आकस्मिकता मद सहित 7,27,06,000/- (सात करोड़ सत्ताईस लाख छः हजार) रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से व्यय की स्वीकृति दी जाती है। योजना के कार्यान्वयन हेतु उक्त राशि का व्यय बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना द्वारा किया जाएगा।

4. इस योजना से संबंधित दिशा-निर्देश परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिहिर कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1380-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>